प्रेषक, 
अतुल कुमार गुप्ता, 
मुख्य सचिव, 
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, 
सनस्त्र प्रमुख सचिव/सचिव, 
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार.अनुमोदन-2 
लखनऊ: दिनांक: 81 अक्टूबर, 2008

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत सूचना का प्रकाशन व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में—
शासन स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषय में पत्र संख्या- 556/43-2-2008-15/2(3)/ 2007 टी.सी. दिनांक 6 जून, 2008 तथा प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-859/43-2-08-15/2(3)/2007 टी.सी. दिनांक 01 जुलाई, 2008 तथा 898/43-2-08-15/2(3)/07, दिनांक 15 जुलाई, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कार्य करें।

2— उपरोक्त पत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न 15 श्रेणियों को विशेष रूप से मैंनूअल के रूप में प्रकाशन व वेबसाइट पर अपलोड कर प्रत्येक विभाग व उनके अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों की अधारविधिक स्थिति की संकलित सूचना की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु अभी तक उक्त सूचना पूर्ण रूप से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न 15 श्रेणियाँ उल्लिखित हैं—

(i) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य 
(ii) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जातियों और कर्तव्य 
(iii) विनियम बनाने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है 
(iv) अपने कृत्यों के निर्विरोध के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापदण्ड 
(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्विरोध के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
(vi) ऐसे दस्तावेज़ों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं

(vii) किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यनिष्ठने के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परमर्श या उनके द्वारा अभ्यवेदन के लिए विद्यमान है,

(viii) बोर्ड, परिषदें, समितियाँ और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्ड, परिषदें, समितियाँ तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यक्रम लोगों के लिए सुलभ है

(ix) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिक्रिया की प्रणाली सम्मिलित हों

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संविधानों पर रिपोर्ट की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिक्रिया को आवर्तित बजट

(xii) सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिससे आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के बीते चमनालित है

(xiii) अपने द्वारा अनुदान रियायतों, अनुज्ञापनों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियों

(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ध्यान, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुशस्त्र है तो, कार्यक्रम घटे सम्मिलित है

(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियों

3— पूर्व में जिन विभागों की उक्त सूचनाएं अनोनियसा द्वारा "भारत सरकार की सूचना का अधिकार से सम्बन्धित वेबसाइट (RTI-Portal:-http://rti.gov.in)" पर अपलोड की गयी थी, वह अब इस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। भारत
सरकार द्वारा अब RTI-Portal को सोचे राज्य सरकार की वेबसाइट (http://upgov.nic.in) से लिंक कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर यही सूचनाएं उपलब्ध हैं, जो विनाश द्वारा अपनी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गयी हैं। इसी विभागीय वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दाखिला-4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न 16 श्रेणियों का विशेष रूप से मनाली के रूप में प्रकाशित कर अपलोड किया जाना है तथा उक्त सूचनाओं को अवधारित नहीं किया जाना है।

4— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं का प्रकाशन तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक निर्देशित है।

5— प्रत्येक "लोक प्राधिकरण (Public Authority)" से यह भी अपेक्षित है कि वे सूचनाओं का ध्यानपूर्वक प्रचार-प्रसार करें। प्रचार-प्रसार इस प्रकार से होना चाहिए कि यह लोगों तक आतानी से पहुंच जाये। ऐसा सूचना पत्रों, समाचार पत्रों, लोक उद्धवत्वाधिकृतों, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट आदि अन्य माध्यम से किया जा सकता है। लोक प्राधिकरण को सूचना का प्रचार-प्रसार करते समय लागत प्रभावकारिता, स्थानीय भाषा और सम्प्रेषण के प्रभावी तरीकों का ध्यान रखना चाहिए।

अंत मुख्य आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 30 नवंबर, 2008 तक अधिनियम की धारा-4(1)(b) के अन्तर्गत अपने विभाग की सूचनाओं का प्रकाशन पर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये तथा इस आशय का प्रकाशन पत्र भी प्रशासनिक सूचनां के उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि प्रौद्योगिक पूर्णकृति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय,

(अतुल कुमार दुबे)
मुख्य सचिव।